रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022025-261306
CG-DL-E-25022025-261306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 967] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2025/फाल्गुन 6, 1946
No. 967] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2025/PHALGUNA 6, 1946

जल शक्ति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2025

का.आ. 975(अ).—केंद्रीय सरकार ने, अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन 16 नवम्बर, 2010 को भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय, संख्या का.आ. 2786(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना द्वारा अंतर्राज्यिक नदी महादायी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए महादायी जल विवाद अधिकरण का गठन किया था।

और, उक्त अधिकरण को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तीन वर्ष की अवधि के भीतर, यानी 15 नवंबर, 2013 को या से पूर्व, प्रस्तुत करना आवश्यक था;

और, उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह अपने कार्यकरण की प्रभावी तारीख 21 अगस्त, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए उसके गठन की तारीख समझे;

और, केंद्रीय सरकार ने तारीख 13 नवंबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2908 (अ) के द्वारा अधिसूचित किया था कि उक्त अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 21 अगस्त, 2013 होगी, और महादायी जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष की अवधि 21 अगस्त, 2013 से प्रारंभ होगी;

और, उक्त अधिकरण को 20 अगस्त, 2016 को या से पूर्व अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करना अपेक्षित था;

और, उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से 21 अगस्त, 2016 से एक वर्ष की अवधि के लिए रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का. आ. 2686 (अ), तारीख 11 अगस्त, 2016 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि 21 अगस्त, 2016 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी थी;

और, उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से 21 अगस्त, 2017 से एक वर्ष की अवधि के लिए रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने का और अनुरोध किया था;

और, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का. आ. 2332 (अ), तारीख 24 जुलाई, 2017 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि 21 अगस्त, 2017 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी थी;

और, उक्त अधिकरण ने 14 अगस्त, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत किया;

और, गोवा राज्य ने 20 अगस्त, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश 39 के नियम 2क के अधीन एक आवेदन फाइल किया था और 20 सितंबर, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उक्त अधिकरण को और संदर्भ दिया था;

और, कर्नाटक राज्य ने 13 नवंबर, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उक्त अधिकरण को और संदर्भ दिया था, महाराष्ट्र राज्य ने 5 नवंबर, 2018 को उक्त अधिकरण को और संदर्भ दिया था और केंद्रीय सरकार ने 14 जनवरी, 2019 को उक्त अधिकरण को और संदर्भित किया था और उक्त अधिकरण को 20 अगस्त, 2018 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी और रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और, उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से 20 अगस्त, 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का. आ 768 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020 द्वारा उक्त अधिकरण द्वारा आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 19 अगस्त, 2020 तक बढ़ा दिया था;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय के आई.ए. संख्या 109720/2019 के साथ एसएलपी संख्या 33018/2018 में तारीख 20 फरवरी, 2020 के आदेश के अनुसार, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का.आ. 888 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2020 द्वारा 14 अगस्त, 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन दी गई उक्त अधिकरण की रिपोर्ट और विनिश्चय को प्रकाशित किया था;

और, उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की और अवधि 20 अगस्त, 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था;

और, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का. आ. 2830 (अ) तारीख 17 अगस्त, 2020 द्वारा 20 अगस्त, 2020 से उक्त अधिकरण द्वारा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 20 अगस्त, 2021 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दे;

और, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का. आ. 2889 (अ), तारीख 20 जुलाई, 2021 द्वारा 20 अगस्त, 2021 से उक्त अधिकरण द्वारा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 20 अगस्त, 2022 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दे;

और, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का. आ. 3348 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2022 द्वारा 20 अगस्त, 2022 से उक्त अधिकरण द्वारा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 20 अगस्त, 2023 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दे;

और, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या का. आ. 3305 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2023 द्वारा 20 अगस्त, 2023 से उक्त अधिकरण द्वारा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी थी;

और, उक्त अधिकरण ने केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि वह उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 20 अगस्त, 2024 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दें;

और, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना सं. का. आ. 3501 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2024 द्वारा उक्त अधिकरण द्वारा अपनी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 20 अगस्त, 2024 से एक सौ अस्सी (180) दिन की और अवधि के लिए बढ़ा दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने अब केंद्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 16 फरवरी, 2025 से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दें;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के उपबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार उक्त अधिकरण द्वारा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 16 फरवरी, 2025 से छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. एन-58012/1/2020-बीएम अनुभाग-एमओडब्ल्यूआर]

आनंद मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2025

S.O. 975(E).—WHEREAS, the Central Government constituted the Mahadayi Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as the said Tribunal) on the 16th November, 2010,vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Water Resources, number S.O. 2786 (E), dated the 16th November, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), for the adjudication of the water disputes relating to the Inter-State river Mahadayi, and river valley thereof;

AND WHEREAS, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, from the date of its constitution, that is, on or before the 15th November, 2013;

AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to reckon as 21st August, 2013 the effective date of its functioning, to be the date of its constitution for the purpose of sub-section (2) of section 5 of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O.2908 (E), dated the 13th November, 2014, notified that the effective date of constitution of the said Tribunal shall be the 21st August, 2013, and the period of three years for submission of the report and decision by the Mahadayi Water Disputes Tribunal shall commence from the 21st August, 2013;

AND WHEREAS, the said Tribunal was required to submit its report and decision on or before the 20th August, 2016;

AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2016;

AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 2686(E), dated the 11th August, 2016, had extended the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2016;

AND WHEREAS, the said Tribunal had further requested the Central Government to extend the period of submission of report and decision for a period of one year with effect from the 21st August, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 2332(E), dated the 24th July, 2017, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 21st August, 2017;

AND WHEREAS, the said Tribunal submitted its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 14th August, 2018;

AND WHEREAS, the State of Goa had filed an application under rule 2A of Order XXXIX of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) read with sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th August, 2018 and had made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on 20th September, 2018;

AND WHEREAS, the State of Karnataka had made further reference to the said Tribunal under the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act on 13th November, 2018, the State of Maharashtra had made further reference to the said Tribunal on 5th November, 2018 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on 14th January, 2019 and the said Tribunal had to submit its further report within a period of one year with effect from the 20th August, 2018;

AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2019;

AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 768(E), dated the 17th February, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal up to the 19th August, 2020;

AND WHEREAS, as per Hon'ble Supreme Court's Order dated the 20th February, 2020 in I.A. No.109720/2019 with SLP No.33018/2018, the Central Government, vide notification number S.O. 888(E), dated the 27th February, 2020, had published the report and decision of the said Tribunal given under sub-section (2) of section 5 of the said Act on the 14th August, 2018;

AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2020;

AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 2830(E), dated the 17th August, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a period of one year with effect from the 20th August, 2020;

AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with effect from the 20th August, 2021;

AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 2889(E), dated the 20th July, 2021, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 20th August, 2021;

AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with effect from the 20th August, 2022;

AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 3348(E), dated the 21st July, 2022, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 20th August, 2022;

AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a further period of one year with effect from the 20th August, 2023;

AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 3305 (E), dated the 21st July, 2023, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 20th August, 2023;

AND WHEREAS, the said Tribunal had requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 20th August, 2024;

AND WHEREAS, the Central Government, vide notification number S.O. 3501 (E), dated the 19th August, 2024, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one hundred and eighty days with effect from the 20th August, 2024;

AND WHEREAS, the said Tribunal has now requested the Central Government to extend the period of submission of its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act for a period of one year with effect from the 16th February, 2025;

Now, therefore, in pursuance of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of six months with effect from the 16th February, 2025.

[F. No. N-58012/1/2020-BM Section-MOWR]
ANAND MOHAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.25 21:46:35 +05'30'